न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 231/2011 दायरा दिनांक : 10.08.2011

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

गंगाराम, जाति बासफोड, निवासी रामगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1– गुरूवचन पुत्र गंगाराम, जाति बासफोड, निवासी रामगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2– भगवती प्रसाद पुत्र गंगाराम, जाति बासफोड, निवासी रामगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– भंवरी बाई बेवा गंगाराम, जाति बासफोड, निवासी रामगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री के के शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधा बल्लभ नागर, श्री विजय प्रकाश नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.01.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 161/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2011 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत होने से एवं एक तरफा होने से खारिज होने योग्य है । रेस्पोडेंट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 409/837 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 539 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा ग्राम रामगढ़ तहसील किशनगंज में स्थित है जिसमें वादी की जाति बसेडा दर्ज है जो सामान्य श्रेणी में आती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया है कि रेस्पोडेंट ने वाद पत्र के उनवान में अपनी जाति बसेडा के स्थान पर बासफोड दर्ज की है जो अनुसूचित जाति में आती है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं देकर एक तरफा निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय साक्ष्यों पर आधारित न होकर कल्पनाओं पर आधारित है । अधीनस्थ न्यायालय किसी भी व्यक्ति की जाति को परिवर्तित करने का श्रेत्राधिकार नहीं रखता है । रेस्पोडेंट के राजस्व रेकार्ड में उसकी जाति बसेडा उसके पूर्वजों के समय से ही अंकित चली आ रही है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड में जाति परिवर्तित करने का आदेश देकर भारी कानूनी भूल की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2011 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.07.2011 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि मान्य नहीं है । जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2011 अपास्त किया जाता है । निर्णय की प्रति जिला कलेक्टर, बारां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा